दिनांक 22/7/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित.
वीप्रार्थीगण को जवाब पेश करने के अनेक
अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया।
अत: जवाब बंद किया गया है। वकील प्रार्थी ने
उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया
गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर
मननं किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर संलग्न
दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता
है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।
अत: नखमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 137/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

प्रेमाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय दिनांक –22/07/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र साता भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा रंगवाली के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 50.9903 हैक्टेयर व खसरा संख्या 12, 13, 136/49 रकबा कमशः 0.0081, 0.1457,0.5261 हैक्टेयर जुमले रकबा 51.6702 हैक्टेयर (319.04 बीघा)** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को जवाब के अनेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र साता भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा रंगवाली के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 50.9903 हैक्टेयर व खसरा संख्या 12, 13, 136/49 रकबा कमशः 0.0081, 0.1457,0.5261 हैक्टेयर जुमले रकबा 51.6702 हैक्टेयर (319.04 बीघा)** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/07/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

22/7/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. प्रेमाराम पुत्र गोकलाराम 2. मोटाराम पुत्र गोकलाराम 3. वगताराम पुत्र गोकलाराम 4. नेनुदेवी पत्नि गोकलाराम 5. अचलाराम पुत्र समरथाराम 6. हेमाराम पुत्र समरथाराम 7. खेताराम पुत्र उम्मेदाराम 8. गोपाराम पुत्र उम्मेदाराम 9. वीरो देवी पत्नि उम्मेदाराम 10. गोमा पुत्र नारणा 11. भीखा पुत्र नारणा जातियान जाट निवासी रंगवाली तहसील सेडवा जिला बाडमेर 12. मोरीदेवी पत्नि भीमाराम जाति गर्ग निवासी बाखासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर	बनाम	1. लूम्बाराम पुत्र मघाराम 2. गुमनाराम पुत्र मघाराम 3. नथाराम पुत्र मघाराम 4. अचला पुत्र तुलछा 5. मूला पुत्र तुलछा 6. माना पुत्र तुलछा 7. नवला पुत्र तुलछा 8. हरदान राम पुत्र जगरूपा 9. आसुराम पुत्र जगरूपा 10. गिरधारी पुत्र हुकमा 11. मूला पुत्र हुकमा 12. गोरधन पुत्र रूपाराम 13. जगदीश पुत्र रूपाराम 14. जुगल पुत्र रूपाराम 15. जीयाराम पुत्र रूपाराम 16. दलाराम पुत्र रूपाराम 17. देवेन्द्र पुत्र रूपाराम 18. पुरखाराम पुत्र रूपाराम 19. रामाराम पुत्र रूपाराम जातियान–जाट निवासीयान–रंगवाली तहसील–सेडवा, जिला बाडमेर 20. नागजी पुत्र मोहन 21. पुनमा पुत्र हंजा 22. जेठा पुत्र हंजा 23. चेना पुत्र केसाराम 24. आसु पुत्र केसाराम 25. करसन पुत्र केसाराम 26. महादेवा पुत्र केसाराम 27. रायचन्द पुत्र छोगाराम 28. अशोक पुत्र छोगाराम जातियान–मेघवाल निवासीयान–बाखासर तहसील–सेडवा, जिला बाड़मेर। 29. वसराम पुत्र मूला 30. वीरमा पुत्र मूला 31. सेन्धा पुत्र मूला जातियान–रबारी निवासीयान–रंगवाली तहसील–सेड़वा, जिला बाडमेर 32. श्रीमान तहसीलदार–सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 137 / 2024 दिनांक : 22/07/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र साता भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा रंगवाली के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 50.9903 हैक्टेयर व खसरा संख्या 12, 13, 136/49 रकबा क्रमशः 0.0081, 0.1457,0.5261 हैक्टेयर जुमले रकबा 51.6702 हैक्टेयर (319.04 बीघा)** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमवंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी विन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस विन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमवंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमवंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

22/7/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
O/C उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2321-24 दिनांक 24/07/2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी प्रेमाराम पुत्र गोकलाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण लुम्बाराम पुत्र मघाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

22/7/24
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा